"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 169] रायपुर, शनिवार, दिनांक 29 अप्रैल 2017— वैशाख 9 , शक 1939

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-13/2017/32. — भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का सं. 16) की धारा-20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2017

क्रमांक एफ 7-13/2017/32. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29-04-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 29th April 2017

NOTIFICATION

No. F 7-13/2017/32. — In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Chhattisgarh Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (No. 16 of 2016), the State Government, hereby, establishes the Real Estate Regulatory Authority.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Joint Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-13/2017/32. — भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का सं. 16) की धारा-43 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए रायपुर में भू-संपदा अपीलीय अधिकरण की स्थापना करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2017

क्रमांक एफ 7-13/2017/32. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29-04-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 29th April 2017

NOTIFICATION

No. F 7-13/2017/32. — In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of Section 43 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (No. 16 of 2016), the State Government, hereby, establishes the Chhattisgarh Real Estate Appellate Tribunal, for the State of Chhattisgarh at Raipur.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.